

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार  
 श्री निवेश डी डी सुदेश का मनीराम का राजस्व ग्राम हुम्मापुरा  
 खाता सं 299 में प्रार्थी का नाम सुदेश की बजाय सुदेश कुमार मिश्रा

(बिजय सिंह मील)  
 पटवारी

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :-

क्रमांक मफरत-बामलास  
 पटवारी मफरत (जिला हुम्मापुरा)  
 तह-गुढागौड़जी

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंभा की जाती है / की जाती है।

*(Signature)*

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला हुम्मापुरा (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 18-10-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हुम्मापुरा	2075- 2078	299 का	सुदेश का मनीराम	सुदेश कुमार का मनीराम

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 18-10-2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/  
 प्रतिलिपि :-

126-127

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी